CHETANA
International Journal of Education

Impact Factor
SJIF=5.689

Peer Reviewed/
Refereed Journal

ISSN-Print-2231-3613
Online-2455-8729

Prof. A.P. Sharma
Founder Editor, CIJE
(25.12.1932 - 09.01.2019)

Received on 30th April 2021, Revised on 17th May 2021, Accepted 20th May 2021

शोधपत्र

भारत में महिला सशक्तिकरणः एक संक्षिप्त चर्चा

* देवकी मीणा, *सहायक आचार्य*
डॉ. प्रताप पिंजानी, *सह आचार्य (वर्तमान में प्रतिनियुक्ति पर)*
समाजशास्त्र विभाग, एस.पी.सी.राजकीय महाविद्यालय, अजमेर (राजस्थान)
Email- devaki230783.dm@gmail.Com, Mob.-9672358705

मुख्य शब्द - *महिला सशक्तिकरण, भेदभाव, उत्पीड़न आदि।*

सार संक्षेप

महिला सशक्तिकरण एक बहस का विषय है। पहले के समय में उन्हें पुरुषों के समान दर्जा प्राप्त था। लेकिन उत्तर–वैदिक और महाकाव्य काल के दौरान उन्हें कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। कई बार उनके साथ गुलामों जैसा व्यवहार किया जाता था। बीसवीं सदी की शुरुआत (राष्ट्रीय आंदोलन) से उनकी स्थिति धीरे–धीरे बदल गई है। इस संबंध में, हमने ब्रिटिश लोगों के नाम का उल्लेख किया।

उसके बाद, भारत की स्वतंत्रता, संवैधानिक निर्माताओं और राष्ट्रीय नेताओं ने दृढ़ता से पुरुषों के साथ महिलाओं की समान सामाजिक स्थिति की मांग की। आज हम देखते है कि महिलाओं ने सभी क्षेत्रों में सम्मानजनक पदों पर कब्जा कर लिया है। फिर भी, उन्होंने समाज के कुछ भेदभाव और उत्पीड़न से पूरी तरह मुक्त नहीं किया है। कई महिलाएं अपनी क्षमताएं स्थापित करने में सफल रही हैं। इसलिए प्रत्येक को नारी की स्थिति को बढ़ावा देने के लिए सावधान रहना चाहिए।

प्रस्तावना

महिलाएं दुनिया की आबादी का लगभग 50 प्रतिशत हिस्सा हैं, लेकिन भारत ने अनुपातहीन लिंग अनुपात दिखाया है जिससे महिलाओं की आबादी पुरुषों की तुलना में कम रही है। जहां तक उनकी सामाजिक स्थिति का सवाल है, उन्हें सभी जगहों पर पुरुषों के बराबर नहीं माना जाता है। पश्चिमी समाजों में, महिलाओं को जीवन के सभी क्षेत्रों में पुरुषों के समान अधिकार और दर्जा प्राप्त है। लेकिन भारत में आज भी लैंगिक अक्षमता और भेदभाव पाए जाते हैं। विरोधाभासी स्थिति यह है कि वह कभी देवी के रूप में और कभी केवल दास के रूप में विचारणीय थी।

भारत में महिलाएं

अब भारत में महिलाओं को संवैधानिक और कानूनी प्रावधान के अनुसार पुरुषों के साथ समानता का एक अनूठा दर्जा प्राप्त है। लेकिन भारतीय महिलाओं ने वर्तमान स्थिति हासिल करने के लिए एक लंबा सफर तय किया है। सबसे पहले, भारत में लैंगिक

असमानता का पता महाभारत के ऐतिहासिक दिनों में लगाया जा सकता है जब द्रौपदी को उनके पति ने एक वस्तु के रूप में पासे पर रखा था। इतिहास गवाह है कि पुरुषों को खुश करने के लिए महिलाओं को निजी और सार्वजनिक दोनों जगहों पर नृत्य कराया जाता था। दूसरे, भारतीय समाज में, पिछले कुछ साल पहले भी एक महिला हमेशा परिवार के पुरुष सदस्यों पर निर्भर थी। तीसरा, एक महिला को अपने ससुराल वालों के बड़े सदस्यों की उपस्थिति में तेज आवाज में बोलने की अनुमति नहीं थी। परिवार का हर दोष और जिम्मेदारी उसके हिस्से में थी। चौथा, एक विधवा के रूप में परिवार के पुरुष सदस्यों पर उसकी निर्भरता और भी अधिक बढ़ जाती है। कई सामाजिक गतिविधियों में उसे परिवार के अन्य सदस्यों के साथ घुलने–मिलने की अनुमति नहीं है। दूसरी ओर, समाज के राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक जीवन में उसका बहुत कम हिस्सा है।

बीसवीं सदी की शुरुआत में, महात्मा गांधी के नेतृत्व में राष्ट्रीय आंदोलन का उदय हुआ, जो महिलाओं की सभी अक्षमताओं को दूर करने के पक्ष में थे। इसी समय, राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर और कई अन्य समाज सुधारकों ने महिलाओं की शिक्षा, बाल विवाह की रोकथाम, सती प्रथा को वापस लेने, बहुविवाह को हटाने आदि पर जोर दिया। राष्ट्रीय आंदोलन और विभिन्न सुधार आंदोलनों ने देश को सामाजिक बुराइयों और धार्मिक वर्जनाओं से उनकी मुक्ति का मार्ग प्रशस्त किया। इस सन्दर्भ में हम सती अधिनियम 1829, हिन्दू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856, बाल प्रतिबंध अधिनियम 1929, महिला संपत्ति अधिकार अधिनियम 1937 आदि के बारे में उल्लेख कर सकते हैं।

भारत की स्वतंत्रता के बाद, संविधान निर्माताओं और राष्ट्रीय नेताओं ने पुरुषों के साथ महिलाओं की समान सामाजिक स्थिति को मान्यता दी। हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 ने विवाह के लिए उम्र निर्धारित की है, जिसमें एकल विवाह और मां की संरक्षकता प्रदान की गई और विशिष्ट परिस्थितियों में विवाह के विघटन की अनुमति दी गई है। हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण–पोषण अधिनियम, 1956 के तहत अविवाहित महिला, विधवा या स्वस्थ मस्तिष्क से तलाकशुदा महिला भी बच्चे को गोद ले सकती है। इसी तरह, 1961 का दहेज निषेध अधिनियम कहता है कि कोई भी व्यक्ति जो दहेज देता है, लेता है या दहेज लेने के लिए उकसाता है, उसे छह महीने तक की कैद या 5000 रुपये तक का जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है। भारत का संविधान लिंगों की समानता की गारंटी देता है और वास्तव में महिलाओं को विशेष उपकार देता है। इन्हें संविधान के तीन अनुच्छेदों में पाया जा सकता है। अनुच्छेद 14 कहता है कि सरकार किसी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता या कानून के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगी। अनुच्छेद 15 घोषित करता है कि सरकार किसी भी नागरिक के साथ लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं करेगी। अनुच्छेद 15 (3) राज्य को महिलाओं के पक्ष में सकारात्मक भेदभाव करने में सक्षम बनाने के लिए एक विशेष प्रावधान करता है। अनुच्छेद 42 राज्य को काम की न्यायसंगत और मानवीय स्थिति और मातृत्व राहत सुनिश्चित करने के लिए प्रावधान करने का निर्देश देता है। इन सबसे ऊपर, संविधान अनुच्छेद 15 (ए), (ई) के माध्यम से महिलाओं की गरिमा के लिए अपमानजनक प्रथाओं को त्यागने के लिए प्रत्येक नागरिक पर एक मौलिक कर्तव्य मानता है।

भारत में महिलाओं का सशक्तिकरण

सशक्तिकरण की अवधारणा सत्ता से उत्पन्न होती है। यह जहां यह मौजूद नहीं है या अपर्याप्त रूप से मौजूद है, में निहित है । महिलाओं के सशक्तिकरण का अर्थ होगा महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वतंत्र, आत्मनिर्भर बनाना, किसी भी कठिन परिस्थिति का सामना करने के लिए सकारात्मक सम्मान देना और उन्हें विकास गतिविधियों में भाग लेने में सक्षम होना चाहिए। सशक्त महिलाओं को निर्णय लेने की प्रक्रिया में भाग लेने में सक्षम होना चाहिए। भारत में, मानव संसाधन विकास मंत्रालय (एमएचआरडी1985) और राष्ट्रीय महिला आयोग ने महिलाओं के अधिकारों और कानूनी अधिकारों की रक्षा के लिए काम किया है। भारत के संविधान में 73वें और 74वें संशोधन (1993) ने महिलाओं को सीटों के आरक्षण (33 प्रतिशत) के लिए कुछ विशेष शक्तियां प्रदान की हैं, जबकि मार्च 2002 एचआरडी की रिपोर्ट से पता चलता है कि महिलाओं के उच्चतम प्रतिशत वाली विधानसभाएं हैं, स्वीडन 42.7 प्रतिशत, डेनमार्क 38 प्रतिशत, फाइंडलैंड 36 प्रतिशत और आइसलैंड 34.9 प्रतिशत । भारत में ''द न्यू पंचायती राज'' कम से कम ग्रामीण स्तर पर महिलाओं को सशक्त बनाने का प्रयास है।

भारत सरकार ने महिलाओं के समान अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए प्रतिबद्ध विभिन्न अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और मानवाधिकार उपकरणों की पुष्टि की है। ये सीईडीएडब्ल्यू (1993), मैक्सिको प्लान ऑफ एक्शन (1975), नैरोबी फॉरवर्ड लुकिंग स्ट्रैटेजीज (1985), बीजिंग डिक्लेरेशन के साथ–साथ प्लेटफॉर्म फॉर एक्शन (1995) और ऐसे अन्य उपकरण हैं।

2001 का वर्ष महिला सशक्तिकरण के वर्ष के रूप में मनाया गया। वर्ष के दौरान, ''महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय नीति'', एक ऐतिहासिक दस्तावेज अपनाया गया है। महिलाओं के लाभार्थियों के लिए, सरकार ने विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों को अपनाया है अर्थात महिलाओं के लिए राष्ट्रीय ऋण कोष (1993), खाद्य और पोषण बोर्ड, सूचना और जन शिक्षा आदि।

पिछले कुछ वर्षों में सबसे सकारात्मक विकास पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी रही है। ग्राम परिषद स्तर पर कई निर्वाचित महिला प्रतिनिधि हैं। वर्तमान में पूरे भारत में कुल 20,56, 882 लाख ग्राम पंचायत सदस्य हैं, इनमें से 8, 38, 244 (40.48 प्रतिशत) महिला सदस्य हैं, जबकि कुल अंचलिक पंचायत सदस्य 1, 09, 324 हैं, इसमें से महिला सदस्य 47,455 40.41 प्रतिशत) और कुल जिला पोरिसोड सदस्य 11,708 हैं, इनमें से 4,923 (42.05 प्रतिशत) महिला सदस्य हैं। केंद्र और राज्य स्तर पर भी महिलाएं उत्तरोत्तर बदलाव ला रही हैं। आज हमने महिला मुख्यमंत्रियों, महिला अध्यक्षों, विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं, अच्छी तरह से स्थापित व्यवसायियों आदि को देखा है।

इनमें सबसे उल्लेखनीय हैं श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, शीला दीक्षित, मायावती, सोनिया गांधी, बिंदा करात, नजमा हेपतुल्ला, इंदिरा नुये (पेप्सी–सह), भाजपा नेता सुषमा स्वराज, रेल मंत्री ममता बैनरजी, ''नर्मदा बसाव'' नेता मेधापाटेकर, इंडियन आयरन वुमन, पूर्व प्रधान मंत्री इदिरा गांधी आदि। महिलाएं बच्चे के पालन–पोषण, शिक्षा, स्वास्थ्य और लैंगिक समानता के मानव विकास के मुद्दों में भी शामिल हैं। उनमें से कई कुटीर उत्पादों–अचार, सिलाई, कढ़ाई इत्यादि के निर्माण और विपणन में चले गए हैं। महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण को इन दिनों देश के लिए प्रगति की अनिवार्यता के रूप में माना जा रहा है, इसलिए, महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण का मुद्दा राजनीतिक विचारकों, सामाजिक विचारकों और सुधारकों के लिए सर्वोपरि है।

महिला सशक्तिकरण के कारण

आज हमने भारत की महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए केंद्र सरकार के साथ–साथ राज्य सरकार के विभिन्न अधिनियमों और योजनाओं पर ध्यान दिया गया है। लेकिन भारत में महिलाओं को समाज के हर स्तर पर भेदभाव और हाशिए पर रखा जाता है चाहे वह सामाजिक भागीदारी हो, राजनीतिक भागीदारी हो, आर्थिक भागीदारी हो, शिक्षा तक पहुंच हो और या प्रजनन स्वास्थ्य सेवा भी हो। पूरे भारत में महिलाएं आर्थिक रूप से बहुत गरीब पाई जाती हैं। कुछ महिलाएं सेवाओं और अन्य गतिविधियों में लगी हुई हैं। इसलिए, उन्हें पुरुषों के साथ अपने पैरों पर खड़े होने के लिए आर्थिक शक्ति की आवश्यकता है। दूसरी ओर यह भी देखा गया है कि महिलाएं पुरुषों की तुलना में कम साक्षर हैं।

2011 की जनगणना के अनुसार, भारत में पुरुषों में साक्षरता दर 82.14 प्रतिशत पाई गई है जबकि महिलाओं में यह केवल 65.46 प्रतिशत है। इस प्रकार, महिलाओं के बीच शिक्षा को बढ़ाना उन्हें सशक्त बनाने में बहुत महत्वपूर्ण है। यह भी देखा गया है कि कुछ महिलाएं काम करने के लिए बहुत कमजोर हैं।

वे खाना कम खाती हैं लेकिन काम ज्यादा करते हैं। इसलिए स्वास्थ्य की दृष्टि से जो महिलाएँ कमजोर है उन्हें मजबूत बनाना है। एक अन्य समस्या कार्यस्थल पर महिलाओं का उत्पीड़न है। बलात्कार, लड़की के अपहरण, दहेज प्रताड़ना आदि के कई मामले हैं। इन कारणों से, उन्हें अपनी रक्षा के लिए और अपनी पवित्रता और गरिमा को सुरक्षित रखने के लिए सभी प्रकार के सशक्तिकरण की आवश्यकता होती है।

संक्षेप में, महिला सशक्तिकरण तब तक संभव नहीं हो सकता जब तक कि महिलाएं स्वयं को सशक्त बनाने में मदद न करें। नारीकृत गरीबी को कम करने, महिलाओं की शिक्षा को बढ़ावा देने और महिलाओं के खिलाफ हिंसा की रोकथाम और उन्मूलन को तैयार करने की आवश्यकता है।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

अरोड़ा, शशि, (2001) : राजस्थान में नारी की स्थिति, तरूण प्रकाशन, बीकानेर।

कलकल स्नेहलता(2001) : ग्रामीण नेतृत्व की उभरती प्रवृत्तियाँ, क्लासिक पब्लिकेशन, जयपुर।

कार्ल मारिली(1995) : वूमेन एण्ड एम्पावरमेंट : पार्टिसिपेशन एण्ड डिसीजन मेकिंग, जेड बुक लि. लन्दन।

कुमार विश्वास(2001) : राजस्थान : कल आज और कल, अरविन्द बुक हाउस,जयपुर।

कौशिक सुशीला(2003) : वूमेन्स एण्ड पंचायती राज, हर आनन्द पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली।

के. अनुजा देवी, (1998) : ग्रामीण महिला, अनमोल पब्लिकेशन, नई दिल्ली।

कुकता मित्तल, (2006) : वूमन पॉवर इन इण्डिया, अमोल पब्लिकेशन, नई दिल्ली।

गुलनाम, ए, खान, (2010): वूमन स्टडीज इन इण्डिया इंस्टीटयूट ऑफ सोशियल स्टडीज ट्रस्ट, नई दिल्ली।

*** Corresponding Author**

देवकी मीणा, *सहायक आचार्य*

डॉ. प्रताप पिंजानी, *सह–आचार्य (वर्तमान में प्रतिनियुक्ति पर)*

समाजशास्त्र विभाग, एस.पी.सी.राजकीय महाविद्यालय, अजमेर (राजस्थान)

Email- devaki230783.dm@gmail.Com, Mob.-9672358705